

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2040/9-1-2022-49टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कटघर लालगंज, जिला आजमगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-1793/9-1-2020-49टी0ए0/20, दिनांक-10 दिसम्बर, 2020 जारी की गयी थी, और दिनांक-10 दिसम्बर, 2020 को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या-1441/9-1-2022-49टी.ए./2020, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-1692-टी/9-1-78-46टी(2)-76, दिनांक 6 मार्च, 1978 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान के भाग-नौ के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कटघर लालगंज, जिला आजमगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची


नगर पंचायत कटघर लालगंज, जिला आजमगढ़ में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्याओं का विवरण
1	खरौंग उर्फ चकिया (चकिया भगवानपुर)	दक्षिण-पूर्व	01 से 234 तक।
2	भगवानपुर (चकिया भगवानपुर)	दक्षिण-पूर्व	01 से 533 तक।
3	ममसीरपुर	उत्तर	01 से 645 तक।
4	रेतवाचन्द्रभानपुर	दक्षिण-पश्चिम	01 से 1151/1436 तक।
5	टीकरगाढ़	पश्चिम	01 से 449/519 तक।


(अमृत (अभिजात))
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक-22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- (2) जिलाधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-2040/9-1-2022-49T.A./20, dated July 22, 2022.

NOTIFICATION

No.-2040/9-1-2022-49T.A./20

Lucknow; Dated: 22 July, 2022

WHEREAS Government Notification no.-1793/IX-1-2020-49T.A./20 dated December 10, 2020 was issued and published in the Gazette dated December 10, 2020 with a view to invite objections and suggestions from the general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Katghar Lalganj, District Azamgarh as required by sub-section (1) section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Government Order no-1441/9-1-2022-49T.A./20 dated June 10, 2022.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of Notification no.-1692-T/IX-1-78-46T(2)-76, dated 06 March, 1978 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of the Population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance and such other factors is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Katghar Lalganj, District Azamgarh for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India.

SCHEDULE

(Area being included in Nagar Panchayat Katghar Lalganj, District Azamgarh)

Sr. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	Kharang urf Chakiya (Chakiya Bhagwanpu)	South - East	01 to 234,
2	Bhagwanpur(Chakiya Bhagwanpur)	South - East	01 to 533,
3	Mamsirpur	North	01 to 645,
4	Retwachandrabanpur	South - West	01 to 1151/1436,
5	Tikargarh	West	01 to 449/519,


(Amrit Abhijat)
Principal Secretary